कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962-230065, फैक्स: 05962-232182 ई-मेल *almoraforestdivision@rediffmail.com*

पत्रॉक 1936 / 12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक, 4/ /2016

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
प्रखण्ड भिकियासैण।

विषयः- **ग्रामीण सड़के एवं ड्रेनेज के अन्तर्गत रामनगर-रानीखेत मोटर मार्ग से लौकोट तक ग्रामीण मोटर मार्ग के निर्माण विषयक।**

संदर्भः- आपकी पत्र सं0 1099/ग्रा0नि0वि0/कार्य-तीन 36डी/2016-17 दिनांक 30.09.2016 एवं अपर सचिव उत्तराखण्ड शासन की पत्र सं0 951/X4-16/1(44)/2016 दिनांक 30.09.2016।

महोदय,

विषयगत प्रकरण में जारी सैद्यान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लेखित निम्न शर्तो का अनुपालन किया जाना है।

शर्त संख्या- 1 प्रस्तावित स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण हेतु 10 वर्षो के रख रखाव के सहित धनराशि रूपये 345312.00 प्रति किमी0 की दर से 1.825 किमी0 मोटर मार्ग में वृक्षारोपण हेतु कुल धनराशि रु0 630194.00 (छः लाख तीस हजार एक सौ चौरानब्बे रुपये मात्र)। वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

शर्त संख्या-2 एन0पी0वी0 धनराशि रूपये 363978.00(तीन लाख त्रेसठ हजार नौ सौ अठहत्तर रुपये मात्र) वन विभाग के पक्ष में जमा की जानी है।

वन भूमि हसतान्तरण प्रकरणों में प्रदत्त सैद्वान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्तो की अनुपालन आख्या/चालान आनलाइन अपलोड किया जाय। इस संबंध में अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोड़ा

पत्रांक 1936 / **दिनांकित**

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।